

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/21501-15

दिनांक :- 04 मार्च 2014

आदेश संख्या 414 /2013-14

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के नियम 1963 के नियम 29 (2ए) के अन्तर्गत कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार पद पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 का पुनर्विलोकन कराये जाने हेतु दिनांक 26.02.2014 को आयोजित बैठक की अनुशंषानुसार निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया जाता है :-

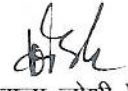
क्रमांक	मेरिट नम्बर	लिक नम्बर	नाम सर्व श्री	जन्म तिथि	पूर्व में लेखाकार पद पर चयन/ बन्द लिफाफा वर्ष	पुनर्विलोकन पश्चात् पदोन्नति वर्ष	विशेष विवरण
1	941/86	2041	हरिप्रसाद जाट	03.07.60	2011-12	2012-13	वरिष्ठता श्री सत्यनारायण डूडी (870/86) एवं श्री कुंज बिहारी वर्मा (985/86) के मध्य रहेगी
2	163/92 आर	3706	मोहन लाल बैरवा (अजा)	01.06.64	नवीन	2013-14	वरिष्ठता श्री मंघाराम अनुशंषा सूची क्रमांक 1097 के नीचे 1097ए पर प्रतिस्थापित की जाती है।
3	डीजी एस /90	1170	आनन्द कुमार व्यास	18.09.61	नवीन	2013-14	इनकी वरिष्ठता श्री दीपनकुमार 947(सी) के नीचे 947(डी) पर प्रतिस्थापित की जाती है।
4	डीजी स/90	9090	रवि भार्गव	14.10.66	नवीन	2013-14	इनकी वरिष्ठता श्री आनन्द कुमार 947(डी) के नीचे 947(ई) पर प्रतिस्थापित की जाती है।

उक्त सभी कनिष्ठ लेखाकारों को लेखाकार के पद पर चयनित वर्ष की वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदोन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण के केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

उपयुक्त कनिष्ठ लेखाकार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता कमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

उक्त आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति संख्या प.2 (15) वित्त/राजस्व/10 दिनांक 21 जून 2013 के अनुसरण में जारी किये गये हैं।

उक्त आदेश विभिन्न न्यायालयों में विवाराधीन/ लम्बित प्रकरणों के निर्णयाधीन होगा।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक
कोष एवं लेखा

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/21501-15

दिनांक :- 04 मार्च 2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि वे कृपया संबंधित कनिष्ठ लेखाकार को लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करा इस विभाग को सूचित करावें।
2. अतिरिक्त निदेशक, (कार्मिक-11) कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निवेदन है कि सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकारों के वर्तमान पदस्थापन के कार्यालय एवं सम्बन्धित कार्यालय में कार्यग्रहण की तिथि एवं सम्बन्धित की निजी पत्रावलियों पूर्ण कर भिजवाने की व्यवस्था करावें।
3. कोषाधिकारी.....
4. एसीपी (उपनिदेशक-कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. श्री कनिष्ठ लेखाकार विभाग/ कार्यालय.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यग्रहण सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवावें।
6. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग
7. निजी सहायक निदेशक महोदय
8. निजी पत्रावली


(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)